D:/01 Augut 17/472

दिनांक : 23.09.2019

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
सम्बद्ध महाविद्यालय, बलिया

विषय : आयुक्त, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड के पत्र संख्या C4-105A/2218/2018-19 दिनांक 28.02.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आयुक्त, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड के उक्त पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को प्रेषित है। माननीय कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया ने उक्त पत्र का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु मुझे निर्देशित किया है।

महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स से सम्बन्धित गतिविधियों में तारतम्य में पूर्व में भी आप से अनुरोध किया था कि अपने महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स दल का गठन कर उनका संस्था के माध्यम से पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करा लें। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक अधिकांश महाविद्यालयों ने पंजीकरण/नवीनीकरण नही कराया है। जिन महाविद्यालयों ने कराया भी है तो उन्होंने उसकी सूचना विश्वविद्यालय को नहीं दी है। अत: नवीनतम निर्देशों के अनुपालन में आप से अपेक्षा है कि आप यथाशीघ्र अपने महाविद्यालय में न्यूनतम एक रोवर्स एवं एक रेंजर्स दल, जो महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय है वहाँ न्यूनतम एक रेंजर्स दल का पंजीकरण करा लें तथा इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी प्रेषित करें।

जिन महाविद्यालयों में बी0एड0/बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाते है वहाँ स्काउटिंग अनिवार्य है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि ऐसे महाविद्यालयों ने भी पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं कराया है और न ही प्रशिक्षण से पूर्व सामान्य औपचारिकतायें पूर्ण की है और न ही किसी स्तर पर इसकी सूचना प्रेषित की है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्था के द्वारा अधिकृत/नामित प्रशिक्षण एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये बिना कराया गया प्रशिक्षण पूर्णत: नियम विरूद्ध एवं अवैध है तथा ऐसे प्रशिक्षक के आधार पर निर्गत किया गया प्रमाण-पत्र भी विधि मान्य नही होगा।

अत: आप सभी महानुभावों से एक बार पुन: आग्रह है कि आप अपने महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुये प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।

समन्वयक

कुलसचिव
कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया

प्रतिलिपि - सूचनार्थ प्रेषित :

1. माननीय कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
2. मुख्य आयुक्त, उ0प्र0 स्काउट एवं गाइड संगठन, लखनऊ
3. माननीय उपकुलसचिव जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र कॉलेज लाग-इन एवं विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
4. मुख्य आयुक्त, उ0प्र0 स्काउट एवं गाइड संगठन, बलिया।

समन्वयक

कुलसचिव
कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया

Scanned by CamScanner

उ0 प्र0 भारत स्काउट और गाइड

डा0 प्रभात कुमार, आई०ए०एस०
मुख्य आयुक्त, उ०प्र०
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०

पत्रांक : C9-105A/2218 / 2018-19
दिनाँक : 28 / A 2 / 2019

सेवा में,

कुलपति
समस्त विश्वविद्यालय
उ0प्र0 ।

आवश्यक
उ० अशोक सिंह

विषयः— **उ0प्र0 के समस्त विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यकम को प्रभावी ढग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप को अवगत कराना है कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और युवा वर्ग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्काउटिंग तथा गाइडिंग भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा–भाव, भाई चारा, संगठन एवं नेतृत्व की भावना विकसित होकर उन्हे उत्तम नागरिकता की ओर ले जाती है।

2— लार्ड बेडेन पावेल ने युवा वर्ग को रोवर/रेंजर की संज्ञा देते हुए उनकी आयु 15 से 25 वर्ष निश्चित की और 24 युवकों के दल को रोवर क्रयू और 24 युवतियों के दल को रेंजर टीम का नाम दिया। रोवर लीडर/रेंजर लीडर की आयु कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। क्रयू/टीम लीडर बनने से पूर्व इनके लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। रोवर/रेंजर दलों के माध्यम से जहाँ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं उनके द्वारा तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु समुचित वातावरण बनाये जाने में सहायता मिल सकती है, जैसे – दहेज उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, वृक्षारोपण, बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं, मतदाता जागरूकता अभियान आदि। इसके अतिरिक्त शासन की विकास योजनाओं के प्रचार व प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में रोवर/रेंजर की टीमों को लगाया जा सकता है.।

3— रोवर क्रयू /रेंजर टीम के माध्यम से जहाँ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा वहीं शासन की विकास योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व

.........2

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

के कार्यों में भी रोवर/रेंजर दलों को लगाया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में भी युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या में स्काउटिंग/गाइडिंग आन्दोलन से सम्बद्ध करने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। अतः प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित करने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही अपेक्षित है।

4– (1) संयुक्त सचिव शिक्षा उ0प्र0 शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1059/15.11.88–3(14)88, उ0प्र0 शासन, शिक्षा (11) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 08 मार्च, 1988 द्वारा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क से प्राप्त धनराशि का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग स्काउट/गाइड कार्यक्रम एवं रोवर/रेंजर दलों में व्यय करने की अनुमति भी प्रदान की गयी है।

(2) रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शासनादेश संख्या 2130/सत्तर–2–2003 –16 (106)/03 उच्च शिक्षा अनुभग–2, लखनऊ दिनांक 27 जून, 2003 द्वारा बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रोवर्स/रेंजर्स प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिमान्य अंक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम तथा इसके शिविरों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इससे छात्र छात्राएं जहाँ सर्वांगिण व्यक्तित्व विकास में इसकी उपयोगिता को अनुभव करेंगे वहीं बी0एड0 कक्षा में प्रवेश पाने के लिए भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर प्रशिक्षण सहायक सिद्ध होंगें।

5– उपरोक्त के परिपेक्ष्य में शासन के निर्देशों के अनुरूप रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

(1) समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयो में (जहाँ अभी तक रोवर क्र्यू/रेंजर टीम का गठन नहीं हो पाया है) न्यूनतम एक रोवर क्र्यू /रेंजर टीम का अनिवार्य रूप से गठन कर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से पंजीकृत कराया जाय। सुविधा हेतु पंजीकरण फार्म की छायाप्रति संलग्न है जिसकी आवश्यकतानुसार छायाप्रतियाँ भी करायी जा सकती हैं। साथ साथ जहाँ ये दल पूर्व से गठित हैं वहाँ उनकी सँख्या में वृद्धि की जाय।

......3

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(2) प्रत्येक रोवर ब्रयू के लिए एक पुरूष प्राध्यापक एवं रेंजर टीम के लिए एक महिला प्राध्यापिका को नामित किया जाये जो कमशः रोवर लीडर एवं रेंजर लीडर से सम्बोधित होंगे। नामित रोवर लीडर/रेंजर लीडर को प्रगतिशील प्रशिक्षण के अंतर्गत उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा प्रारम्भ में बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवरिंग/रेंजरिंग के प्रति छात्र/छात्राओं को प्रेरित करनें और अधिकाधिक दलो की स्थापना करानें की व्यवस्था करनें की कृपा करें। इस हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड संस्था से जिस सहयोग की आवश्यकता होगी वह सुलभ होता रहेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डा0 प्रमात कुमार)
मुख्य आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा), उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3– प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड ।
4– प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार कुलपति से सम्पर्क कर समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित कर उनके पंजीकरण का कार्य अभियान के रूप में चलाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्य को अन्तिम रूप प्रदान करें।

(डा0 प्रमात कुमार)
मुख्य आयुक्त।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner